राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) नागौर

क्रमांक : एफ.12(02) (25)/राजस्व/2021/765 दिनांक : 16.02.21

संपरिवर्तन आदेश

श्री रूघाराम मेघवाल पुत्र श्री रावतराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी अलाय तहसील नागौर हाल निवासी राजपूत कॉलोनी के पास, मानसरोवर नगर,नागौर जिला नागौर राजस्थान के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का "राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007" के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियॉ नीचे दी गई हैं :

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता का नाम/पति का नाम, पता	श्री रूघाराम मेघवाल पुत्र श्री रावतराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी अलाय तहसील नागौर हाल निवासी राजपूत कॉलोनी के पास, मानसरोवर नगर,नागौर जिला नागौर राजस्थान
2	आवेदक क्या अ.जा. या अ.ज.जा. का सदस्य है	हां
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-	
	क. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम बारानी ग्राम पंचायत बारानी तहसील नागौर
	ख. भूमि का ख.नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ग्राम बारानी (बाडाणी) तहसील नागौर के खसरा 979/943 रकबा 0.1890 हैक्टेयर व ख.न. 981/975 रकबा 0.0740 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2630 हैक्टेयर
	ग. प्रत्येक खसरा नंबर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल	ग्राम बारानी (बाडाणी) तहसील नागौर के खसरा नम्बर 979/943 रकबा 0.1890 हैक्टेयर में से 1394.30 वर्गमीटर व ख.न. 981/975 रकबा 0.0740 हैक्टेयर में से 180.70 वर्ग मीटर कुल रकबा 1575.00 वर्ग मीटर भूमि
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमियम की दर	नियम-7 के अनुसार
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जीआरएन 44055055 दिनांक 23.10.20 राशि 15750.00 (अक्षरे रू पन्द्रह हजार सात सौ पचास मात्र) राजकोष में जमा हो चुके है।
7	चालान संख्या/तारीख, शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम-13 के अधीन जारी किया गया हैं ?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियॉ यदि कोई हो तो	—

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की समावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी, तथा आवेदक द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा करवाई गई राशि प्रत्याहृत हो जायेगी।

3. नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।
4. वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प)प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लियें उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।
5. इंडियन रोड कांग्रेस मापदंडानुसार भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोडते हुए एवं यदि इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंडों में वर्णित सडक मार्ग से वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) तक जाने के लिये रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क मार्ग एवं अन्य मार्ग से पेट्रोल पंप तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो सा.नि.विभाग से पूर्वानुमति लेनी होगी एवं सड़क सीमा/राष्ट्रीय मार्ग/राज्यमार्ग आदि की निर्धारित नोर्म्सानुसार दूरी छोड़कर एवं सड़क सीमा में आने वाली भूमि का राज हक में समर्पण करवाकर निर्माण कार्य कराना होगा।
6. उक्त संपरिवर्तन वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने के लिए इस कार्यालय की अनापत्ति अथवा सहमति नहीं मानी जावे। वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने के संबंध में संबंधित विभागों की राय के अनुसार कोई भी उचित निर्णय लेने के लिए यह कार्यालय स्वतंत्र रहेगा।
7. संबंधित विभाग की अनापत्ति/सहमति उपरान्त यदि इस रूपान्तरित भूमि पर वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो निकटतम स्थानीय निकाय विभाग एवं नियम के प्रावधानों/मापदण्डानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करना होगा।
8. उक्त संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, ग्राम पंचायत की अनापत्ति तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। अतः रूपान्तरित भूमि से सम्बन्धित किसी प्रकार का वाद विवाद होने की दशा में आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा तथा विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) द्वारा उक्त संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किया जा सकता है।
9. नक्शा ब्लयू प्रिन्ट एवं नक्शा ट्रेस को संपरिवर्तन आदेश का हिस्सा माना जावेगा।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर,नागौर

क्रमांक : सम्/ 766-73
दिनांक : 16.02.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप खण्ड़ अधिकारी, नागौर
2. तहसीलदार, नागौर को भेजकर लेख है कि उक्त संपरिवर्तित भूमि का उपयोग निश्चित समयावधि में जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उसी उपयोग में ली जा रही है, या नहीं का प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेवें एवं यदि भूमि का उपयोग जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उस प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया हो, तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावें।
3. उप पंजीयक, नागौर
4. सरपंच, ग्राम पंचायत बारानी पंचायत समिति नागौर
5. श्री श्री रूघाराम मेघवाल पुत्र श्री रावतराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी अलाय तहसील नागौर हाल निवासी राजपूत कॉलोनी के पास, मानसरोवर नगर,नागौर
6. प्रभारी अधिकारी (जिराले), कार्यालय हाजा
7. तहसील राजस्व लेखाकार, मार्फत तहसीलदार नागौर
8. संरक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार)
अति.जिला कलक्टर
नागौर